सं. 4-6/2017-बीपी-2(कल्याणकारी संस्थान)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 30 मई, 2017

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
16-20, बाराखम्बा लेन,
नई दिल्ली-110001

विषय: **कल्याणकारी संस्था स्कीम** के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के पूर्वार्ध अर्थात् **अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2017** तक के लिए खाद्यान्नों का आवंटन।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक आवंटन आदेश दिनांक 16.5.2017 के अनुक्रम में कल्याणकारी संस्था स्कीम के अंतर्गत **ओड़ीशा सरकार** को वर्ष 2017-18 के प्रथम 6 माह अर्थात अप्रैल से सितम्बर, 2017 तक के लिए **बीपीएल मूल्यों** पर 1117.5 टन **चावल के मासिक** आवंटन हेतु सरकार का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. अप्रैल, 2017 से जून, 2017 के लिए खाद्यान्नों की लागत जमा कराने और उठान की वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने के तारीख से क्रमश: 45 दिन और 50 दिन की होगी और बाद के महीनों जुलाई से सितम्बर की अवधि की वैधता सरकार के तत्काल अनुदेशों के अनुसार होगी ।

3 भारतीय खाद्य निगम उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित मात्रा के अनुसार ओड़ीशा सरकार को खाद्यान्न (चावल) जारी करेगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीपीएल दरों पर खाद्यान्नों की लागत का अग्रिम भुगतान करने के बाद खाद्यान्नों की उल्लिखित मात्रा भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम/डिपो से जारी की जाएगी।

4. भारतीय खाद्य निगम अपने संबंधित कार्यालयों को उचित निर्देश दें एवं तदनुसार इस विभाग को अवगत कराएं।

भवदीय,

(ए.के. मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग, ओड़ीशा सरकार को इस अनुरोध के साथ कि खाद्यान्नों का उठान और राज्य सरकार के वास्तविक लाभार्थियों/छात्रावासों/कल्याण/चैरिटेबल संस्थाओं को इनका वितरण वैध अवधि के भीतर सुनिश्चित किया जाए। स्कीम के अंतर्गत अक्टूबर, 2017 से मार्च 2018 के लिए आबंटन, वर्ष 2016-17 की दूसरी छमाही के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित फॉर्मेट जीएफआर 19-ए में संबंधित खाद्य सचिव द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा । उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में खाद्यान्नों का आवंटन नहीं किए जाने की जिम्मेदारी पूर्णतया राज्य सरकार की होगी।
2. महाप्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
3. आईएफडी/संचलन-1 अनुभाग/नीति-1 अनुभाग/बीपी -1 अनुभाग/एफडी-3/एफ़सी लेखा/गार्ड फाईल।